बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 159770 पटना, दिनांक :- 14/08/13

ग्रा0-0वि09)विविध)-2012(खण्ड-1)

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **पंचायत/ प्रखंड स्तर पर भा0नि0रा0गॉ0से0के0- मनरेगा भवनों के निर्माण के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश ।**

प्रसंग:-

1. भारत सरकार की अधिसूचना संख्या J-11013/2/2009-NREGA-(pt) दिनांक 30 दिसम्बर, 2009
2. विभागीय पत्रांक 132175 दिनांक 12.12.2012
3. भारत सरकार की अधिसूचना संख्या J-16020/52/2011/Misc.-MGNREGA/BKS दिनांक 12 अप्रैल, 2013 तथा
4. भारत सरकार की अद्यतन मार्गनिदेशिका (MGNREGA Operational Guidelines).

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक अधिसूचना संख्या J-11013/2/2009-NREGA-(pt) दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 एवं विभागीय पत्रांक 132175 दिनांक 12.12.2012 के माध्यम से भा0नि0रा0गॉ0से0के0- मनरेगा भवनों के निर्माण से संबंधित प्रावधान एवं दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं । कृपया इनका सन्दर्भ लें ।

विदित हो कि अधिसूचना सं0 J-11013/2/2009-NREGA-(pt) दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 के कंडिका सं0 4(i) में भा0नि0रा0गॉ0से0के0 के पंचायत स्तरीय भवन के निर्माण के लिये अधिकतम 10 लाख तथा कंडिका संख्या 4(ii) में प्रखंड स्तरीय भवन के निर्माण के लिये अधिकतम 25 लाख की खर्च की राशि मनरेगा अंतर्गत अनुमान्य की गई थी ।

उक्त के क्रम में विभाग द्वारा उपर्युक्त भवनों के निर्माण के लिये मानक प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसके अनुसार भा0नि0रा0गॉ0से0के0 के प्रखंड तथा पंचायत स्तरीय भवनों के निर्माण के लिये क्रमशः 31.23 लाख तथा 10.00 लाख के व्यय की राशि आकलित की गयी है । विभागीय पत्रांक 132175 दिनांक 12.12.2012 के कंडिका सं0 8 के माध्यम से यह निर्देश दिया गया था कि प्रखंड स्तरीय भवन के लिये 25 लाख का व्यय भार मनरेगा के अंतर्गत अनुमान्य है तथा शेष (6.23 लाख) राशि पंचायत समिति अन्य योजनाओं से वहन कर सकेगी ।

13/8/13

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या J-16020/52/2011/Misc.-MGNREGA/BKS दिनांक 12 अप्रैल, 2013 (प्रति संलग्न) के माध्यम से अद्यतन निर्देश दिये गये हैं, जिसके द्वारा प्रखंड तथा पंचायत स्तरीय भा0नि0रा0गॉ0से0के0- मनरेगा भवनों के निर्माण में खर्च की निर्धारित अधिसीमा समाप्त कर दी गयी है । उक्त क्रम में राज्यों को प्रचलित कार्य दर सूची (Schedule of Rates) के अनुसार अधिसीमा निर्धारित करने का दायित्व दिया गया है, मनरेगा के अन्य अपरक्राम्य (non-negotiable) यथावत लागू रहेंगे ।

इस क्रम में मनरेगा अधिनियम की कंडिका 7.7.10 एवं 7.7.11 के प्रावधान जो समय समय पर कार्य दर सूची (Schedule of Rates) में संशोधन से संबंधित है, प्रासंगिक है :-

*(क) कंडिका 7.7.10 जो **शुरु किये जाने परियोजनाओं से संबंधित** है, में यह प्रावधान है कि जब कभी SoR में संशोधन होता है, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वार्षिक योजना में परियोजनाओं के प्राक्कलनों को स्वतः (suo moto) संशोधित कर कार्यान्वयन निकायों को उपलब्ध करा दिया जाना है ।*

*(ख) कंडिका 7.7.10 जो **चालू परियोजनाओं से संबंधित** है, में यह प्रावधान किया गया है कि जब SoR संशोधित हो जाते हैं तब चालू परियोजनाओं के अपूर्ण भाग मात्र के प्राक्कलन को संशोधित किया जाय । यह पूरी प्रक्रिया एक माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जानी चाहिये ।*

तदनुसार यह निदेश दिया जाता है कि :-

1. **सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक अभियंत्रण कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मानक प्राक्कलनों को जिले के प्रचलित SoR (Schedule of Rates) के आधार पर जिले का मानक प्राक्कलन प्रखंड स्तर एवं पंचायत स्तर के लिये तैयार करा लें एवं सक्षम अभियंता से TS (Technical Sanction) ले लें ।**
2. **उक्त क्रम में आंकलित राशि उस जिले के लिये निर्धारित अधिसीमा होगी जिसमें समय समय पर SoR (Schedule of Rates) में संशोधन के आलोक में भारत सरकार के अद्यतन मार्गदर्शिका के कंडिका 7.7.10 एवं 7.7.11 के प्रावधानों के अनुसार संशोधन किया जा सकेगा ।**

विदित हो कि मनरेगा अंतर्गत पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर ली गयी समग्र योजनाओं में निश्चित रूप से श्रम तथा सामग्री में क्रमशः 60:40 का अनुपात (संबंधित स्तर पर) संधारित किया जाना है । उक्त अनुपात के संधारित नहीं होने के क्रम में भवनों के निर्माण में आकलित सामग्री राशि का वहन BRGF/ अन्य मद से विधिवत प्रक्रिया का पालन करके किया जा सकता है ।

कृपया इसे सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

13/8/13

अमृत लाल मीणा